महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com

पत्रांकः 576 / कु0का0 / 2025 दिनांक 25/02/2025

परीक्षा समिति की 28 वीं बैठक का कार्यवृत्त

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 21.02.2025 को अपराह्न 02.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा समिति की 28वीं बैठक आहूत की गयी। बैठक की उपस्थिति निम्नवत हैं–

क्र0सं0	नाम	संस्था का नाम	पद नाम	समिति दायित्व
1.	प्रो0 संजीव कुमार	महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 देवेन्द्र प्रताप सिंह	कूबा महाविद्यालय दरियापुर, नेवादा,आजमगढ़	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3.	प्रो0 मधुबाला राय	श्री दुर्गा जी पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4.	प्रो0 असहद अहमद	शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
5.	प्रो0 बृजेश कुमार	श्री दुर्गा जी0 पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
6.	प्रो0 एस. ताहिर हसन	शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
7.	डॉ0 दिनेश कुमार तिवारी	डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़।	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
8.	डा0 सौम्य सेन गुप्ता	डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़।		विशेष आमंत्रित
9.	डा0 सर्वेश कुमार	श्री दुर्गा जी पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़।		विशेष आमंत्रित
10.	श्री विशेश्वर प्रसाद	महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ	कुलसचिव	सचिव

मा0 कुलपति जी की अनुमति से परीक्षा नियंत्रक / कुलसचिव द्वारा बैठक प्रारम्भ की गई–

मद सं. 1– परीक्षा समिति की 27वीं बैठक दिनांक 10.12.2024 के कार्यवृत्त का सम्पुष्टीकरण।

निर्णय– परीक्षा समिति की 27वीं बैठक दिनांक 10.12.2024 के कार्यवृत्त पर सम्यक् विचार करते हुए परीक्षा समिति द्वारा उक्त कार्यवृत्त के मद संख्या–3 में आंशिक परिवर्तन करते हुए शेष कार्यवृत्त को यथावत सर्वसम्मति से सम्पुष्टित किया गया। उक्त आंशिक संशोधन इस प्रकार है–

"कला संकाय के गैर–प्रायोगिक विषयों वाणिज्य संकाय (स्नातक स्तर–पहले तीन वर्ष) के विषयों बी0बी0ए0 को छोड़कर) के विभिन्न सेमेस्टर में मौखिक / प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन आगामी परीक्षा / सेमेस्टर से आन्तरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन कराने का अधिकार उन्ही महाविद्यालयों को दिया जाय जिनमें शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हैं। जिन महाविद्यालयों में शिक्षक अनुमोदन नही हैं, उन्हें आन्तरिक मूल्यांकन का अधिकार न दिया जाय तथा उन महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय द्वारा एक ही शिक्षक को आन्तरिक व वाह्य परीक्षक नियुक्त किया जाय तथा अन्य सभी नियम सम्बन्धित विषयों के पाठ्यक्रम के अनुरूप ही रहेंगे।"

मद संख्या 2–सम–सेमेस्टर सत्र 2024–25 की परीक्षा प्रारम्भ कराये जाने पर विचार।

कार्यालय के मन्तव्य के अनुसार–सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 अप्रैल से प्रारम्भ कराया जाना उचित रहेगा।

निर्णय– परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से सम–सेमेस्टर सत्र 2024–25 की परीक्षाएं 15 अप्रैल, 2025 से प्रारम्भ कराने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 3–परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने हेतु नियमावली बनाने पर विचार।

कार्यालय के मन्तव्य के अनुसार–शासनादेश के अनुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारण नियमावली बन जाने पर केन्द्र निर्धारण में सुविधा एवं सरलता रहेगी।

निर्णय– परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा केन्द्र निर्धारण नियमावली बनाने हेतु समिति का गठन अधोलिखितानुसार किया गया–

1– प्रो0 मधुबाला राय– श्री दुर्गा जी पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़।

2– प्रो0 देवेन्द्र प्रताप सिंह–कूबा महाविद्यालय दरियापुर, नेवादा, आजमगढ़।

3– प्रो0 बृजेश कुमार–श्री दुर्गा जी0 पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़।

4–डॉ0 सर्वेश कुमार–श्री दुर्गा जी0 पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़।

5– उप कुलसचिव–महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

मद संख्या 4– परीक्षा केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में–जिन महाविद्यालयों में प्राचार्य व प्रवक्ता अनुमोदित नहीं है, उन महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार।

कार्यालय के मन्तव्य के अनुसार–यदि परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व महाविद्यालय प्राचार्य/प्रवक्ता अनुमोदित करा लेता है तो महाविद्यालय को परीक्षाकेन्द्र बनाये जाने पर विचार किया जाये। अन्यथा की स्थिति में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने पर विचार।

निर्णय– मद संख्या–3 में लिये गये निर्णय में समाहित है।

मद संख्या 5– जिन विषयों/पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर में दो प्रश्नपत्र हैं, उनमें से एक प्रश्नपत्र की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा तैयार प्रश्नपत्र के माध्यम से कराये जाने पर विचार।

कार्यालय के मन्तव्य के अनुसार–एक प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा तैयार प्रश्नपत्र कराने से समय की बचत होगी एवं छात्र हित में उचित रहेगा साथ ही व्यय भार भी कम होगा।

मद संख्या 6– जिन विषयों/पाठ्यक्रमों में एक ही प्रश्न पत्र है, उन पाठ्यक्रमों के विषम या सम सेमेस्टर की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा प्रश्नपत्र के रूप में परीक्षा कराये जाने पर विचार।

कार्यालय के मन्तव्य के अनुसार–छात्र हित को देखते हुए उचित प्रतीत होता है।

निर्णय (मद संख्या–5 व 6)– परीक्षा समिति द्वारा मद संख्या– 5 व 6 पर सम्यक् विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक सभी मेज़र प्रश्नपत्र वर्णनात्मक प्रकार के तथा सभी माइनर प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे तथा पंचम् व षष्ठ सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। बहुविकल्पीय प्रकार के सभी प्रश्नपत्र 02 घण्टे की समयावधि के होंगे।

मद संख्या 7– समस्त परीक्षाएं दो पाली के स्थान पर तीन पाली में कराये जाने का विचार।

कार्यालय के मन्तव्य के अनुसार–तीन पाली में परीक्षा कराये जाने पर समय की बचत व व्यय भार कम होगा, तथा इस प्रकार बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्रश्नपत्रों में टकराव की स्थिति से बचा जा सकता है।

निर्णय– परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी समस्त परीक्षायें तीन पालियों में आयोजित की जायेगी तथा प्रश्नपत्रों की समयावधि एवं प्रश्नपत्र के प्रारूप निर्धारित करने के लिए अधोलिखितानुसार समिति का गठन किया गया है–

1–प्रो0 सौम्य सेन गुप्ता–डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़।

2–प्रो0 ताहिर हसन–शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़।

3–प्रो0 दिनेश कुमार तिवारी–डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़।

4–डॉ0 सर्वेश कुमार–श्री दुर्गा जी0 पी0जी0 कालेज चण्डेश्वर, आजमगढ़।

5–सहायक कुलसचिव–महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

मद संख्या 8– **एल0एल0बी0 प्रथम सेमेस्टर के जो छात्र पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए है उनके अंक पत्र पर वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर अंकित है, के स्थान पर प्रथम सेमेस्टर के अंक पत्र पर महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ मुद्रित कराया जाय। एल0एल0बी0 के उक्त छात्रों का दो विश्वविद्यालयों के अंक पत्र होने के कारण बार कांउन्सिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि प्रथम सेमेस्टर में वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर तथा द्वितीय से षष्ठम् सेमेस्टर में महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़, का अंकपत्र निर्गत किया गया है। (छात्र हित के सम्बन्ध में अंकपत्र निर्गत करने पर विचार)**

निर्णय– परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से मद संख्या 08 को यथावत् अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 9. **अंकपत्रों के प्रकाशन/निर्गमन के सम्बन्ध में–दो सेमेस्टर के परीक्षाफल का एक अंकपत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में विचार।**

कार्यालय के मन्तव्य के अनुसार–दो सेमेस्टर के परीक्षाफल के लिए एक ही अंकपत्र निर्गत किये जाने पर छात्रों को सुविधा होगी और व्यय भार भी कम होगा।

निर्णय– परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छात्रहित एवं विश्वविद्यालय हित को दृष्टिगत रखते हुए दो सेमेस्टरों (अर्थात् एक वर्ष) के परीक्षाफल के लिए एक ही अंकपत्र निर्गत किया जाय।

मद संख्या 10. **अन्तिम सेमेस्टर के अंकपत्र पर सम्पूर्ण प्राप्तांक/पूर्णांक को अनिवार्यतः मुद्रित करने के सम्बन्ध में विचार।**

कार्यालय के मन्तव्य के अनुसार–छात्रों को फार्म भरने में सुविधा होगी।

निर्णय– परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से मद संख्या–10 को यथावत् अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 11. **परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त अपेक्षित संशोधन हेतु महाविद्यालयों को रफ चार्ट/सारणीयन पंजिका प्राप्त कराने अथवा ऑनलाईन सारणीयन पंजिका उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार।**

कार्यालय के मन्तव्य के अनुसार–महाविद्यालयों को अपूर्ण परीक्षाफल एवं किसी प्रकार के संशोधन में सुविधा होगी।

निर्णय– परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से मद संख्या–11 को यथावत् अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 12. **सभी विषयों/पाठ्यक्रमों की उपाधि (डिग्री) केवल अंग्रेजी भाषा में मुद्रित करने के सम्बन्ध में विचार।**

कार्यालय के मन्तव्य के अनुसार– डिग्री अंग्रेजी भाषा में मुद्रित करने पर स्पेलिंग गलत होने की सम्भावना न्यून होगी, जबकि छात्रों के विवरण का गूगल अनुवाद करने से हिन्दी में त्रुटियां अधिक हो रही है।

निर्णय– चूंकि प्रायः सभी छात्रों के माध्यमिक स्तर तक सभी अंकपत्र व प्रमाणपत्र अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होते हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फार्म भी अंग्रेजी भाषा में ही भरवाया जाता है, इसलिए छात्रों की उपाधि (डिग्री) मुद्रित करते समय हिन्दी भाषा के लिए गूगल अनुवाद का सहारा लिया जाता है जिससे त्रुटियां अधिक होने की सम्भावना रहती है। अतः परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी विषयों/पाठ्यक्रमों की उपाधि (डिग्री) केवल अंग्रेजी भाषा में मुद्रित की जायें।

मद संख्या 13– **आन्तरिक उड़ाका दल एवं वाह्य उड़ाका दल के सदस्यों को प्रति पाली रू0 120/– के आधार पर भुगतान किये जाने पर विचार।**

निर्णय– परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आन्तरिक उड़ाका दल एवं वाह्य उड़ाका दल के सदस्यों को प्रति पाली रू0 120/– पारिश्रमिक प्रदान किया जाय।

मद संख्या 14– प्री0पी–एच0डी0 कोर्स वर्क 2023–24 का प्रश्नपत्रों का प्रारूप, परीक्षा समय सारणी व प्रश्नपत्र तैयार करने के विषय में विचार।

निर्णय– परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से मद संख्या–14 के अन्तर्गत शोध प्रकोष्ठ नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्री0पी–एच0डी0 कोर्स वर्क 2023–24 का प्रश्नपत्रों का प्रारूप, परीक्षा समय सारणी व प्रश्नपत्र तैयार करने सम्बन्धी सलग्नक को यथावत् अनुमोदित किया गया।

अन्य बिन्दु माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

मद संख्या:–01 **परीक्षाओं में प्रत्येक 20 परीक्षार्थी पर एक परिप्रेक्षक होगा जिसकी गणना प्रतिपाली में सम्मिलित होने वाले कुल परीक्षार्थियों के आधार पर की जायेगी। किसी पाली में परीक्षार्थियों की संख्या 20 से कम होने पर कमरे में दो परिप्रेक्षक नियुक्त होंगे, पर विचार।**

निर्णय– परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परीक्षाओं में प्रत्येक 20 परीक्षार्थी पर एक परिप्रेक्षक होगा जिसकी गणना प्रतिपाली में सम्मिलित होने वाले कुल परीक्षार्थियों के आधार पर की जायेगी। किसी पाली में परीक्षार्थियों की संख्या 20 से कम होने पर कमरे में दो परिप्रेक्षक नियुक्त होंगे।

(विशेश्वर प्रसाद)
कुलसचिव

(प्रो0 संजीव कुमार)
कुलपति